न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 82/2016

वादीः–	बनाम	प्रतिवादीः–
1. कुताराम उर्फ बुधाराम गोदीपुत्र मालाजी, नि0 चौधरीयो का बास, सोजतसिटी, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 17/08/22

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 3797/6265, 3833, 3842, 3843 कुल खसरा 04 कल रकबा 1.0900 है0 किस्म चा0प्र0 स्थित है। रिवाईज्ड सेटलमेंट के पुराने खसरा नंबर 209/17 जिसके नये खसरा नंबर 3797/6265 तथा पुराने ख0न0 209/6 नये खसरा नंबर 3835 तथा पुराने ख0न0 209/14 नये खसरा नंबर 3842 एवं पुराने ख0न0 209/13 नये खसरा नंबर 3843 से मिलकर बने है। नैनाराम जो कि वादी का दादा है तथा मालाराम(फौत), रतनाराम(फौत) पि0 नैनाराम, बुधाराम उर्फ कुताराम गोदी पुत्र कुताराम की वंशावली है। उपरोक्त वंशावली अनुसार नेनाराम के दौ संतान व मालाराम व रतनाराम थे तथा मालाराम लाऔलाद थे जिनके अपनी स्वयं के कोई जायंदा संतान नही थी इसलिए रतनाराम ने वादी बुधाराम उर्फ कुताराम को मालाराम को बाल्यवस्था में गोद दे दिया जिससे वादी मालाराम का गोदी पुत्र है तथा रतनाराम के भी एकमात्र संतान वादी ही है। वादग्रस्त कृषि भूमि जो रतनाराम की स्वयं की खरीदसुदा, कब्जासुदा, खातेदारी कृषि भूमि थी जिस कृषि भूमि को रतनाराम पुत्र नेनाराम ने दिनांक 18.04.1978 को रजिस्टर्ड वसीयतनामें से वादी को हस्तान्तरित की गई तथा रतनाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा रतनाराम के स्वर्गवास के पश्चात रतनाराम की खातेदारी कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज की गई। सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा वादी का नाम दर्ज करते समय वादी की वल्दीयत परिवर्तित कर मालाराम के स्थान पर रतनाराम दर्ज कर दी जबकि वादी को रतनाराम द्वारा मालाराम को गोद दिये जाने के पश्चात् वादी मालाराम का गोदी पुत्र हुआ तथा उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि रतनाराम द्वारा वादी को जरिए रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांकित 18.04.

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

1979 को की गई जिसमें भी वादी की वल्दियत मालाराम दर्जसुदा है लेकिन सेटलमेंट

अधिकारियों द्वारा माफिक वसीयत में दर्ज वल्दियत दर्ज न कर वादी के प्राकृतिक पिता रतनाराम का नाम दर्ज कर दिया जबकि वादी के तमाम दस्तावेजात में पहचान पत्र, राशनकार्ड एवं अन्य खातेदारी कृषि भूमि में वादी की वल्दियत मालाराम ही दर्ज है तथा वादी मालाराम का गोदी पुत्र है। इस प्रकार सेटलमेंट अधिकारियो की गलती व भूल से वादी की वल्दियत मालाराम के स्थान पर रतनाराम दर्ज कर दी जिसे वादी पुनः शुद्धि करवाई जाकर अपनी वल्दियत रतनाराम के स्थान पर मालाराम दर्ज करवाने का अधिकारी है। इस प्रकार सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 3797/6265, 3833, 3842, 3843 कुल खसरा 04 कल रकबा 1.0900 है0 किस्म चा0प्र0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में कुताराम पुत्र रतनाराम के स्थान पर कुताराम उर्फ बुधाराम पुत्र मालाराम के नाम से रेवेन्यु रेकर्ड में वादी का नाम दुरूस्त किये जाने किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी सरकार की ओर से तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया कि जिसमें पैरा संख्या 1से 5 वादी स्वयं सिद्ध करना अंकित करते हुये अन्य पैरा कानूनी होना अंकित किया है।

अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रतिवादी द्वारा पस्तुत जबाब दोवा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादग्रस्त कृषि भूमि वाद पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि मे कुताराम पुत्र रतनाराम के स्थान पर कुत्ताराम उर्फ बुधाराम पुत्र मालाराम घोषित करवाने का अधिकारी है––––

(जिम्मे वादी)

2. आया वादी वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी अपनी वत्दियल रतनाराम के स्थान पर मालाराम शद्धि करवाने का अधिकारी है–

(जिम्मे वादी)

3. आया वादी वादग्रस्त कृषि भूमि में स्वयं काबिज है तथा कुताराम उर्फ बुधाराम पुत्र मालाराम (वादी) वादग्रस्त भूमि में बतौर खातेदार कब्जा काश्त है–

(जिम्मे वादी)

अधिवक्ता वादीगण ने शहादव वादीगण के मुख्यपरीक्षण हेतु वादी स्वयं का तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किए मुख्य परीक्षण पर वादी स्वयं के बयान पीडब्ल्यु–1 कलमबद्ध करवाये गए। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा वादी ने अपनी खातेदारी भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 73 पेश की जो प्रदर्श–1 है, मूल वसीयतनामा दिनांक 18.04.1978 जिस पर रतनाराम के

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

अगुष्ठ निशान है की छाया प्रति प्रदर्श–2 है, खसरा मिलान की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श –3 है। आधार कार्ड मूल प्रदर्श–4 है जिसकी छाया प्रति 4ए है। पहचान पत्र मूल प्रदर्श–5 जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 5ए है, राशन कार्ड की मूल प्रति प्रदर्श–6 जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 6ए है, पेश किये है। जिन्है प्रदर्शितकरवाये गये जिरह प्रति शुन्य रही।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 3797/6265, 3833, 3842, 3843 कुल खसरा 04 कल रकबा 1.0900 है0 किस्म चा0प्र0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है। बचपन में बुधाराम को कुताराम के नाम से जाना पहचाना जाता था जबकि समस्त दस्तावेजो में वादी का नाम वास्तविक व रेकेर्डेड नाम बुधाराम गोदी पुत्र मालाराम है। बुधाराम व कुताराम दोनो एक ही व्यक्ति है। वादस्थ भूमि में वादी का सही व वास्तविक नाम कुताराम उर्फ बुधाराम पिता मालाराम दर्ज किए जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अनुतोष प्रदान करने में कोई आपति नही होना जाहिर किया।

वस्तुतः उक्त वाद प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का प्रस्तुत वाद पत्र के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत जबाब दावा साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात, गवाहान के मुख्य परीक्षण एवं जिरह प्रतिवादी पर लिये गये बयानात एवं स्वतंत्र गवाहो के बयानात तथा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति की मय नजरी नक्शा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर बाद विवेचन/विश्लेषण कर तनकीवार विनिश्चय निम्नांकित रूप से किया जाता है–

1. आया वादग्रस्त कृषि भूमि वाद पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि मे कुताराम पुत्र रतनाराम के स्थान पर कुत्ताराम उर्फ बुधाराम पुत्र मालाराम घोषित करवाने का अधिकारी है–––

(जिम्मे वादी)

अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा मूल वसीयतनामा दिनांक 18.04.1978 जिस पर रतनाराम के अगुष्ठ निशान है की छाया प्रति प्रदर्श–2ए पेश की है। इस वसियतनामा में रतनाराम द्वारा दिनांक 18.04.1978 को रजिस्टर्ड वसीयतनामें से वादी को अपना हक हिस्सा हस्तान्तरित किया गया है। रतनाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा रतनाराम के स्वर्गवास के पश्चात रतनाराम की खातेदारी कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज की गई। रतनाराम द्वारा मालाराम को गोद दिये जाने के पश्चात् वादी मालाराम का गोदी पुत्र हुआ जिसकी पुष्टि रतनाराम द्वारा की गई उक्त वसीयतना में में वादी की अंकित वल्दियत से होती है अर्थात रतनाराम द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

वादी को जरिए रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांकित 18.04.1979 को की गई जिसमें भी वादी की वल्दियत मालाराम दर्जसुदा है। आधार कार्ड मूल प्रदर्श–4 है जिसकी छाया प्रति 4ए है। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज यथा पहचान पत्र मूल प्रदर्श–5 जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 5ए है, राशन कार्ड की मूल प्रति प्रदर्श–6 जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 6ए है, जिसमें भी वादी का नाम बुधाराम पुत्र माला अंकित है। लिहाजा तनकी संख्या 01 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

2. आया वादी वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी अपनी वल्दियत रतनाराम के स्थान पर मालाराम शद्धि करवाने का अधिकारी है–

(जिम्मे वादी)

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वंशावली में मूल पुरूष नैनाराम हुए जिनके द्वो विधिक वारिसान कमश मालाराम व रतनाराम हुऐ थे। मूल पुरूष नैनाराम फौत हो चुके है। मालाराम भी लाऔलाद फौत हुये है। रतनाराम द्वारा अपने जीवन काल में एक रजि0 वसीयत की जाकर अपना हक हिस्सा बुधाराम उर्फ कुताराम को हस्तान्तरित कर दिया गया जो प्रदर्श–2 से स्पष्ट होता है। उक्त वसियत में बुधाराम उर्फ कुताराम की वल्दियत मालाजी अंकित सुदा है। लिहाजा तनकी संख्या 02 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

3. आया वादी वादग्रस्त कृषि भूमि में स्वयं काबिज है तथा कुताराम उर्फ बुधाराम पुत्र मालाराम (वादी) वादग्रस्त भूमि में बतौर खातेदार कब्जा काश्त है–

(जिम्मे वादी)

अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा प्रस्तुत जबान्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्श–1 पेश की जिसमें वादी खातेदार काश्तकार दर्ज सुदा है। लिहाजा तनकी संख्या 03 आंशिक बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात साक्ष्य सबूत बतौर प्रस्तुत शपथ पत्रों, का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वाद पत्र में कायम की गई तनकी संख्या 01 व 2 बहक वादी तथा तनकी संख्या 03 आंशिक बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी विनिश्चतकी गई है। लिहाजा अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों की शपथ पत्रों से संपुष्टि होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में कुताराम पुत्र रतनाराम के स्थान पर कुताराम उर्फ बुधाराम पत्र

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

मालाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 3797/6265, 3833, 3842, 3843 कुल खसरा 04 कल रकबा 1.0900 है0 किस्म चा0प्र0 की कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में **कुताराम पुत्र रतनाराम के स्थान पर कुताराम** उर्फ **बुधाराम पत्र मालाराम** दुरूस्त दर्ज कर वादीगण का नाम इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 17/08/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादीगण

बनाम

1. कुताराम उर्फ बुधाराम गोदीपुत्र मालाजी, नि0 चौधरीयो का बास, सोजतसिटी, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

प्रतिवादी

1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956</u>

राजस्व वाद संख्या :– 82/2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री गजेन्द्र दवे तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 3797/6265, 3833, 3842, 3843 कुल खसरा 04 कल रकबा 1.0900 है0 किस्म चा0प्र0 की कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में **कुताराम पुत्र रतनाराम के स्थान पर कुताराम उर्फ बुधाराम पत्र मालाराम** दुरूस्त दर्ज कर वादीगण का नाम इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17/08/22 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.